



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

Case No. R&oth/3/2018/STGUP/DELAAL/RU-I

Dated: 02/11/2018

विषय: ग्राम - खाड़पाथर, परगना व तहसील - दुध्दी, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) के अनुसूचित जनजातियों की जमीन पर योगेंद्र नारायण द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के संबंध में।

- संदर्भ: (1) पुलिस अधीक्षक, जिला- सोनभद्र के पत्र संख्या एस टी-शि0 -08ए /2018(अ0 जा0 आ0) दिनांक 01/06/2018
- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.07.2018

चूँकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण/ जांच करने का निर्णय लिया है। (प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, जिला सोनभद्र तथा जिला अधिकारी, जिला सोनभद्र से सूचना अप्राप्त है)।

2 श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/ जांच / की गई कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए, नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 15.11.2018 को 12.00 बजे सिटिंग निर्धारित की है।

3 तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4 कृपया ध्यान रखें, यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (8) के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24641640

सेवा में

1 जिला अधिकारी,
जिला - सोनभद्र,
(उत्तर प्रदेश)।

2 पुलिस अधीक्षक,
जिला-सोनभद्र,
उत्तर प्रदेश।

सूचनार्थः

श्री राजबली पुत्र स्वर्गीय काशी,
ग्राम - मुर्धवा, (राधा कृष्ण मंदिर के पास)
चौकी - रेनूकूट, थाना - पिपरी,
तहसील - दुद्धी, जिला - सोनभद्र,
(उत्तर प्रदेश)।

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
4. PA to Hon'ble Member (HKD), NCST
5. PS to Hon'ble Member (MCI), NCST
6. Sr. PPS to Secretary, NCST
7. Office of the Joint Secretary, NCST
8. Director (RU-I and III)
9. Deputy Secretary (RU-II and IV)
10. AD (Admin.)/Caretaker to make all necessary arrangements on the day of the sitting.
11. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)